न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 24/2024**(GCMS : **2024/44**)

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–14, गुरूग्राम में स्थित व कार्यरत है। जिसकी एक शाखा कार्यालय श्रीगंगानगर में स्थित कार्यरत है।

बनाम

1. **रानी पत्नी** बलराम पता वार्ड नं. 09, ग्राम सुजावलपुर, 7 बी हिन्दूमलकोट, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **बलराम** पुत्र बुधराम पता वार्ड नं. 09, ग्राम सुजावलपुर, 7 बी हिन्दूमलकोट, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान **अन्य पता** बुक नं. 278, पट्टा नं. 26, ग्राम पंचायत हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **सुरजीत** पुत्र बलराम पता वार्ड नं. 09, ग्राम सुजावलपुर, 7 बी हिन्दूमलकोट, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान **अन्य पता** बुक नं. 278, पट्टा नं. 26, ग्राम पंचायत हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण रानी, बलराम एवं सुरजीत को ऋण सुविधा के रूप में कुल 9.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 26.10.2021 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलराम की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो बुक नं. 278, पट्टा नं. 26 (क्षेत्रफल 1333.00 वर्गगज), ग्राम सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 05.09.2022 को अ[illegible] परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी [illegible] दिनांक 23.09.2022 को 10,12,742/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 22.09.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2023 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके साथ अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों बिजनैस स्टैण्डर्ड (हिन्दी व अंग्रेजी) में भी प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक/कम्पनी की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी बलराम **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास दृष्टि बंधक** रखी गई आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो बुक नं. 278, पट्टा नं. 26 (क्षेत्रफल 1333.00 वर्गगज), ग्राम सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने **अप्रार्थीगण रानी, बलराम एवं सुरजीत को** 9.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.10.2021 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलराम ने अपनी आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो बुक नं. 278, पट्टा नं. 26 (क्षेत्रफल 1333.00 वर्गगज), ग्राम सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.09.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया, बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 22.09.2022** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध **है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी बलराम की आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो बुक नं. 278, पट्टा नं. 26 (क्षेत्रफल 1333.00 वर्गगज), ग्राम सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.09.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.09.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.09.2023 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील** होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक/कम्पनी धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों में भी दिनांक 14.10.2022 को प्रकाशित करवाये है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बलराम के ह[illegible] प्रा[illegible] बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी [illegible] जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी बलराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति भूमि व भवन जो बुक नं. 278, पट्टा नं. 26 (क्षेत्रफल 1333.00 वर्गगज), ग्राम सुजावलपुर, ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:17:55 IST
Reason: SelfAttested